भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3634
10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी

3634. श्री राजकुमार चाहर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों की संख्या कितनी है और देशभर में इस योजना से वंचित किसानों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त योजना से वंचित किसानों को इस योजना का लाभ किस प्रकार और कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): पीएम-किसान योजना के तहतकृषि संगणना 2015-16 के आधार पर अनुमानित लाभार्थियों की संख्या 12.5 करोड़ है, जिसमें से 29/07/21 के अनुसार 11.23 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना का वित्तीय लाभ दिया गया है।

(ख): पीएम-किसान योजना के तहत, इच्छित लाभार्थियों की पहचान/पंजीकरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पास है। और,जब पात्र लाभार्थियों का सही और सत्यापित डेटा संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार से पीएम-किसान पोर्टल पर प्राप्त होता है और आधार / पीएफएमएस / आयकर डेटाबेस के माध्यम से उनका सत्यापन होता है, तो डीबीटी मोड के माध्यम से योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों के खाते में सीधे अंतरित कर दिया जाता है।

इसके अलावा पात्र किसानों के नामांकन को और सुगम बनाने के लिए पीएम-किसान पोर्टल के "किसान कॉर्नर" के माध्यम से स्व-पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। पात्र किसान पीएम-किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी स्व-पंजीकरण कर सकते हैं, जिसे 24 फरवरी, 2020 को योजना के सफल कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया था। साथ ही, योजना के लिए किसानों को पंजीकृत करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को अधिकृत किया गया है।

विभाग का लक्ष्य देश के प्रत्येक पात्र किसान परिवार को पीएम-किसान योजना के तहत नामांकित कर शत-प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा देश भर से किए गए नामांकनों के विश्लेषण के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न संतृप्ति अभियान चलाने और योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र किसानों को लाने के लिए प्रचार/जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, योजना के तेजी से कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समीक्षा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए साप्ताहिक वीडियो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

*****